न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 32/2019 **(RCMS No. 2019/00065)**

वादीगण

1. गोगाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
2. चन्द्राराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
4. रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
5. राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
6. रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
7. सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
8. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर

वाद– बाबत भू–विभाजन एवं इस्तकरार हक बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी देवेन्द्रसिंह एवं राजकुमारी गौड़ की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 21.11.19

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर कुल रकबा 6.92 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 की कब्जासुदा, खातेदारी स्वामित्व की स्थित है, उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादी की 1/14 हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है, वर्तमान में खसरा नम्बर 101 की भूमि में से भूमि रकबा 0.4942 हैक्टर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है, उपरोक्त खसरान का विधिवत बंटवारा नही किया हुआ है, लेकिन मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बर 101 मे से भूमि रकबा 0.4942 हैक्टर भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है तथा शेष खसरा नम्बर 101 की शेष भूमि तथा खसरा नम्बर 102, 60 की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है, उपरोक्त खसरा नम्बर 101, 102, 60 की भूमि का विधिवत बटवारा नही [illegible] के कारण वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अलग खातेदारी दर्ज नही [illegible] बनवाने,ऋण लेने, भूमि का रूपान्तरण करवाने व अन्य सुविधा प्राप्त करने में [illegible] दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है भूमि का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने से प्रतिवादीगण के मन में अब कुठाराघात उत्पन्न हो गया है इसलिये वादी द्वारा विधिवत बंटवारा करवाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये, वादी अपने हक हिस्से की भूमि अलग खातेदारी दर्ज करावाना चाहता है, इसलिये वाद पत्र न्यायालय हाजा में लाना लाजमी हुआ है, तथा वादी के हिस्से की भूमि को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D, में दर्शाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गया है जिसे वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जावेगा, बिनाय दावा वादी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 101, 102, 60 का अन्य सहखातेदार की सहमति से मौके पर विधिवत बंटवारा करके खसरा नम्बर 101 में से भूमि रकबा 0.4942 हैक्टर भूमि अलग करके कब्जा काश्त वादी अकेले द्वारा करने पर अन्य सहखातेदारान द्वारा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अलग से वादी के नाम दर्ज नही करवाने पर बमुकाम राणासर में उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री इस अगर की जारी की जावे कि उपरोक्त खसरा नम्बर 101 में से भूमि रकबा 0.4942 हैक्टर का नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D, के अनुसार बंटवारा करवाकर वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की अलग खातेदारी घोषित कर प्रतिवादीगण सं. 10 को आदेश जारी करे कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 101 में से भूमि रकबा 0.4942 हैक्टर भूमि नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D, के अनुसार वादी के नाम से अलग खातदेारी दर्ज की जावे सादिर फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी करणीसिंह, चन्द्राराम, रघुवीरसिंह, रामसिंह, सुगनसिह, शाखा प्रबन्धक, तहसीलदार कुचामनसिटी बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी देवेन्द्रसिंह एवं राजकुमारी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित एवं इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रतिवादी ने इकबाली जवाब दावा में कथन किया है कि वादी का वाद स्वीकार है तथा ग्राम राणसर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर कुल रकबा 6.92 हैक्टर 1/7 हिस्सा अर्थात 0.9885 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है , प्रतिवादी सं. 4 व 6 की कब्जा काश्त खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर मे से 0.9885 हैक्टर उत्तरी भाग पर है, जिसका नजरी नक्शा जवाब दावा के साथ संलग्न है जिसमे मार्क A, B, C, D, प्रतिवादी देवेन्द्रसिंह व राजकुमारी का है, इसी माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर प्रतिवादी सं. 4 व 6 की सेपरेट होल्डिंग कायम फरमाई जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा नकल चाली खतौनी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 6.92 हैक्टर में करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, गोगाराम पुत्र भागुराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार, चान्दकंवर पत्नि गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देख खातेदार, रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/17 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान अधिवक्तोओं की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कथन किया है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में राणासर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर में से नजरी नक्श अनुसार 0.4942 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, प्रतिवादी अधिवक्ता अनुसार खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर मे से 0.9885 हैक्टर उत्तरी भाग नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

गया पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज चली आई है तथा उन्होने मौके पर आपसी सुविधानुसार बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है, उपलब्ध समस्त दस्तावेजात इत्यादि अनुसार वादी एवं प्रतिवादी देवेन्द्रसिंह एवं राजकुमारी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अनुसार नजरी नक्शा माफिक काबिज है परन्तु पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी के कथनो को सही नही माना जा सकता, मौके पर काबिज एवं काश्त कर रहे काश्तकार की सही स्थिति की जानकारी हेतु बंटवारा स्कीम अनुसार ही पता चल सकती है, अतः वाद वादी, प्रतिवादी काउन्टर को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए प्राथमिक डिक्री काबिल योग्य है। अतः वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 6.92 हैक्टर में करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, गोगाराम पुत्र भागुराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार, चान्दकंवर पत्नि गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देख खातेदार, रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/17 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे, तथा बंटवारा में आने वाली भूमि तक पहुचने हेतु रास्ते का अंकत करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे, प्राथमिक डिक्री भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 21.11.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 32/2019 **(RCMS No. 2019/00065)**

वादीगण

1. गोगाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
2. चन्द्राराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
4. रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
5. राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
6. रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
7. सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
8. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरा अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 6.92 हैक्टर में करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, गोगाराम पुत्र भागुराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी, चन्द्राराम पुत्र राजुराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार, चान्दकंवर पत्नि गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देख खातेदार, रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/17 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे, तथा बंटवारा में आने वाली भूमि तक पहुचने हेतु रास्ते का अंकत करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे, प्राथमिक डिक्री भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी

सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 11 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			[illegible] दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			मह[illegible]		
महन्ताना वकिल			[illegible]हन		
खर्चा गवाहन			फि[illegible]मि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमांक/भू.अ. 2241 दिनांक 9-12-19

राजस्व 9/12/19

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो०
कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व वाद सं. 32/2019 जोगाराम बनाम करणीसिंह वगै० में पारित प्राथमिक डिक्री मुताबिक बंटवारा स्कीम तैयार करने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्रांक/राजस्व/2019/26 दिनांक 25-11-19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय के वाद सं. 32/2019 जोगाराम बनाम करणीसिंह वगै० में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 25-11-19 की पालना में समस्त पक्षकारान बंटवारा स्कीम भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः बंटवारा स्कीम मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

9.12.19

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 04-12-19 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/मु.अ./1964 दिनांक 24/11/19 की पालना में ग्राम-रणाबर के ख०नं० 101, 102, 60 कुल रकबा 6.92 हैक्टर के मौके पर हम राह पटवारी हल्का आनन्दपुरा के पहुंचा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी द्वारा राजस्व प्रकरण वाद संख्या 32/2019 गोगाराम बनाम करणीसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 21-11-19 की अनुपालना में ग्राम रणाबर के उपरोक्त वर्णित खसरों की रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु मौके पर पहुंचकर मौका देखा गया। मौके पर वादी गोगाराम, प्रतिवादी-राजकुमारी गौड़, प्रतिवादी-चन्द्राराम व अन्य मौतबिरान उपस्थित मिले।

राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम रणाबर के खसरा 101, 102, 60 कुल रकबा 6.92 है. में करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत हि०1/7 गोगाराम पुत्र भागुराम जाट हि०1/14 चन्द्राराम पुत्र राजुराम हि०1/14 जाट, चान्दकंवर पत्नि गोविन्दसिंह राजपूत 1/7 देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह राजपूत हि०1/14 रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत हि०1/7, राजकुमारी गौड़ पत्नि सुल्तानसिंह राजपूत हि०1/14 रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत हि०1/7 सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत हि०1/7 खातेदार दर्ज है। मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों (मौतबिरान) से कब्जा स्थिति के बारे में पूछताछ की गई तो उपस्थित मौतबिरान ने निम्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा होना बताया।

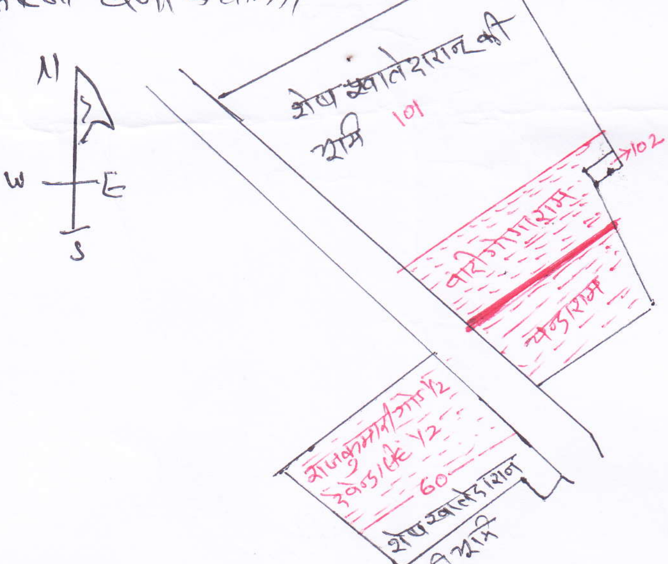

इस प्रकार उपरोक्त [illegible] गोगाराम पु० भागुराम जाट के हिस्से में खा.नं० 102 रकबा 0.02 है. सम्पूर्ण तथा खा.नं 101 में [illegible] है. कुल रकबा 0.4952 है. तथा प्रतिवादी चन्द्राराम पु० राजुराम जाट के हिस्से में [illegible] रकबा 0.4952 है. तथा प्रतिवादी राजकुमारी गौड़ प० सुल्तानसिंह 1/2 [illegible] 1/2 राजपूत के हिस्से में खसरा 60 में से उत्तर की तरफ रकबा 0.9886 है. भूमि अवस्थित है व खसरा [illegible] में से रकबा 0.5114 है. भूमि दक्षिण की तरफ की तथा खसरा 101 में से रकबा 4.9316 है. भूमि उत्तरी तरफ की भूमि शेष खातेदारान के हिस्से में अवस्थित है फर्द पढ़कर सुनाई गई जिसे सही मान कर अपने हस्ताक्षर करवाये गये।

चन्द्राराम (प्रतिवादी नं० 2)

[signature] (प्रतिवादी नं० 5)

LTI गोगाराम (वादी)

पटवारी
भू.अ.निरीक्षक

पु० आनन्दपुरा
04.12.19

देवाराम

गोवर्धनराम

(मौतबिरान)

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 32 / 2019 **(RCMS No. 2019/00065)**

वादीगण

1. गोगाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
2. चन्द्राराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
4. रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
5. राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
6. रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
7. सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
8. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर

वाद– बाबत भू–विभाजन एवं इस्तकरार हक बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी देवेन्द्रसिंह, राजकुमारी गौड़ की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 12.12.2019

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र मे जारी प्राथमिक डिक्री दिनॉक 21.11.2019 में तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0 / 2019 / 2241 दिंनाक 09.12.2019 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

...2...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस सुनी गई तथा संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 6.92 हैक्टर में वादी गोगाराम पुत्र भागुराम जाट को खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 101 मे से 0.4742 हैक्टर कुल 0.4942 हैक्टर का (राहिन जयपुर ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी गोगाराम का हिस्सा) तथा प्रतिवादी चन्द्राराम पुत्र राजूराम जाट को खसरा नम्बर 101 में से दक्षिणी तरफ की 0.4942 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 में उत्तरी तरफ प्रतिवादी राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह 1/2 देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत 1/2 0.9886 हैक्टर में, खसरा नम्बर 60 में से रकबा 0.4114 हैक्टर भूमि दक्षिणी तरफ की तथा खसरा नम्बर 101 की शेष भूमि उत्तरी तरफ की शेष खातेदारान (करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, चान्दकंवर पत्नि गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देख खातेदार, रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/17 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत)को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनॉक 12.12.19 को खुले इजलास सुनाया गया ।

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 32/2019 **(RCMS No. 2019/00065)**

वादीगण

1. गोगाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
2. चन्द्राराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
4. रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
5. राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
6. रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
7. सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
8. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरा अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता **वाद डिक्री कर घोषणा कि जाती है कि ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 101 रकबा 5.50 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.40 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 6.92 हैक्टर में वादी गोगाराम पुत्र भागुराम जाट को खसरा नम्बर 102 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 101 मे से 0.4742 हैक्टर कुल 0.4942 हैक्टर का (राहिन जयपुर ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी गोगाराम का हिस्सा) तथा प्रतिवादी चन्द्राराम पुत्र राजूराम जाट को खसरा नम्बर 101 में से दक्षिणी तरफ की 0.4942 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 में उत्तरी तरफ प्रतिवादी राजकुमारी गौड़ पत्नी सुल्तानसिंह 1/2 देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत 1/2 0.9886 हैक्टर में, खसरा नम्बर 60 में से रकबा 0.4114 हैक्टर भूमि दक्षिणी तरफ की तथा खसरा नम्बर 101 की शेष भूमि उत्तरी तरफ की शेष खातेदारान (करणीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, चान्दकंवर पत्नि गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, देवेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/14 जाति राजपूत सा. देख खातेदार, रघुवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/17 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सुगनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/7 जाति राजपूत)को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकिल			महन्ताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फिस कमि□नर			फिस कमि□नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2019.12.13 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: